भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 151

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सीआरपीएफ की कार्यदशा

†151. श्री वाई०वी० सुब्बा रेड्डी:
श्री पी० नागराजन:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री सी० महेंद्रन:
श्री ए० अनवर राजा:
श्री हरि मांझी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कार्यदशा के संबंध में हाल ही में तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सघन अपराध वाले क्षेत्रों में जवानों और अधिकारियों की लगातार तैनाती के कारण वे स्वयं को समाज से अलग-थलग महसूस करने लगते है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिकांश युवा सीआरपीएफ में भर्ती होने के इच्छुक नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) सीआरपीएफ के पुरुष/महिला कार्मिकों की बेहतर कार्यदशा सुनिश्चित करने के लिए, जवानों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और कार्मिकों के मनोबल को बढ़ाने और समाज में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): जी नहीं, हाल में इस तरह की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2012 में चयनित उम्मीदवारों के लगभग 6 प्रतिशत तथा वर्ष 2013 में 5 प्रतिशत उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

(घ): सरकार बल कार्मिकों की बेहतर जीवन-दशा, कार्य-दशा और सेवा शर्तों में सुधार लाने का प्रयास करती रहती है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i) पारदर्शी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष अवकाश संबंधी नीति का कार्यान्वयन;

ii) उनके तत्काल घरेलू मुद्दों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बल कार्मिकों को अवकाश प्रदान करना;

iii) उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनके निराकरण हेतु कमांडरों, अधिकारियों और जवानों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक, दोनों प्रकार से नियमित बातचीत;

iv) शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना;

v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य के घंटों को विनियमित करना;

vi) सैन्य बलों और उनके परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं/साधनों के प्रावधान द्वारा जीवन स्तर में सुधार करना;

vii) सरकार ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों/जिलों (राज्य की राजधानियों को छोड़कर) में तैनात केन्द्रीय सश स्त्र पुलिस बल कार्मिकों की अंतिम तैनाती स्थल पर समान दर/सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर सरकारी आवास को बनाए रखने की सुविधा दी गई है। यह सुविधा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तैनाती के मामले में बल कार्मिकों को पहले से दी जा रही है।

viii) अधिक जोखिम/कठिनाई तथा डिटैचमेंट भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता, धुलाई भत्ता, राशन मनी भत्ता, एमएआरसीओएस भत्ता जैसे अन्य भत्तों के माध्यम से बलों को प्रेरित करना;

ix) अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहने तथा दूरस्थ स्थलों में तनाव को कम करने के लिए सैन्य बलों को एसटीडी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान;

x) कठिन क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और जवानों को यथासंभव उनके विकल्प के अनुसार सुविधाजनक/ स्थायी स्थानों पर तैनाती के लिए वरीयता दिया जाना;

….3/-

xi) विशेषीकृत सुविधाओं के साथ कंपोजिट अस्पतालों को चालू करने सहित सैन्य बलों और उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं;

xii) उनकी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूर करने के लिए चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा बातचीत;

xiii) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान कक्षाएं;

xiv) ड्यूटी के दौरान घायल हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों के भर्ती रहने की अवधि को ड्यूटी-अवधि के रूप में माना जाना;

xv) मनोरंजन और खेलकूद सुविधाओं का प्रावधान करने तथा उनके रख-रखाव के लिए सभी कार्यालयों में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। बल कार्मिकों को खेलकूद और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है;

xvi) सैन्य बलों और उनके परिवारों के लिए केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधा, उनके बच्चों को छात्रवृत्तियों आदि जैसे कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना;

xvii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवा निवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का दर्जा प्रदान करना, जिससे संभावना है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मौजूदा कार्मिकों का मनोबल बढेगा तथा इससे उन्हें बेहतर पहचान, सामुदायिक मान्यता मिल सकेगी जिससे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिक अधिक मान-सम्मान और गर्व महसूस कर सकेंगे;

xviii) विभिन्न स्थानों पर स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर का नवीकरण किया जा रहा है तथा वर्तमान परिदृश्य के अनुसार उनका स्तरोन्नयन किया जा रहा है। शौचालयों, स्नानघरों, पेयजल सुविधा, मेस जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं पुरूष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध हैं। अभियान संबंधी ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल के लिए सैन्य बलों को सचल शौचालय भी उपलब्ध कराया जाता है;

xix) बल परिसरों को साफ रखा जाता है तथा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वच्छता राउन्ड लगाए जाते हैं ताकि परिसर में स्वच्छता की स्थिति की निगरानी की जा सके और उनमें सुधार किया जा सके;

xx) महिला कार्मिकों की सुविधा के लिए जेंडर सेंसेटाइजेशन, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, बेहतर सेवा, पोषाहार देखभाल केन्द्र आदि जैसी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

xxi) उपर्युक्त के अतिरिक्त, महिला कार्मिकों को उदारतापूर्वक बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) प्रदान किया जाता है;

….4/-

xxii) पूर्वोत्तर तथा लेह सहित जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के दूरस्थ जगहों पर कल्याणकारी उपाय के रूप में वहां तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को हवाई कुरियर की सेवा उपलब्ध कराई गई है;

xxiii) जब कभी अगले उच्च रैंक में रिक्तियां होती हैं, तब पात्र कार्मिकों को नियमित आधार पर पदोन्नति दी जाती है;

xxiv) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए पदोन्नति संबंधी अवसर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से संवर्ग पुनरीक्षा करने के अनुदेश दिए गए हैं;

xxv) रिक्तियों के अभाव में पदोन्नति न पाने वाले पात्र कार्मिकों को नियमानुसार मॉडीफाइड एस्योर्ड कॅरियर प्रोगेशन (एमएसीपी) योजना और सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं;

xxvi) रिक्तियां मौजूद होने परन्तु फीडर ग्रेड में मौजूद कार्मिकों द्वारा पात्रता की शर्त पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में रेजीडेंसी/अर्हक सेवा में छूट दिए जाने पर विचार किया जाता है;

xxvii) चिकित्सकों को कमांडेट रैंक तक (ग्रेड वेतन 8700/- रु.) तक की समयबद्ध पदोन्नति तथा उसके आगे के दो रैंकों अर्थात् उप महानिरीक्षक (ग्रेड वेतन 8900/- रु.) तथा महानिरीक्षक (ग्रेड वेतन 10,000/- रु.) में समयबद्ध वित्तीय उन्नयन दिया जाता है;

xxviii) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर , सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सामान्य ड्यूटी में सहायक उप निरीक्षक रैंक को शामिल किया है। इससे हेड कांस्टेबल रैंक में आए गतिरोध में कमी आई है।

****